| आदेश की क्रम सं० एवं तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|

28/6/24

**न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की, विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।**

**एस०ए०आर०वाद सं०-64/2023-24**

**रमेश खलखो, ..... आवेदक।**

**बनाम**

**(1) विनोद कुमार अग्रवाल,**

**(2) पंकज कुमार सिन्हा,..... विपक्षीगण।**

## *आदेश*

आवेदक रमेश खलखो, पिता–स्व० दुर्गा उराँव, निवास ग्राम–हातमा डहू टोली, पोस्ट–राँची यूनिवरसिटी, थाना–गोन्दा, जिला राँची द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71"A" के अंतर्गत जमीन जो मौजा–कठहरगोन्दा, थाना संख्या–201, जिला–राँची आर०एस० खाता संख्या–43, प्लॉट संख्या–817, कुल रकवा–01 डी० वापसी हेतु यह वाद दायर किया गया है। आवेदक ने आरोप लगाया है कि उनकी उपरोक्त जमीन विपक्षीगण (1) विनोद कुमार अग्रवाल, पिता–स्व० कृष्ण लाल अग्रवाल, निवासी ग्राम–एस०एन० सिन्हा लेन, हातमा डहू टोली; पोस्ट–राँची यूनिवरसिटी, थाना–गोन्दा, जिला राँची (2) पंकज कुमार सिन्हा, पिता–स्व॰ नरेन्द्र नाथ सिन्हा, निवास ग्राम–सिटी सेन्टर दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल द्वारा छल प्रपंच से हड़पकर दखल कर लिया है।

**जमीन का विवरण**

| मौजा | थाना नं0 | खाता नं0 | प्लॉट नं0 | रकबा |
|---|---|---|---|---|
| कठहरगोन्दा | 201 | 43 | 817 | 01 डी० |

आवेदक ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत जमीन रिवीजनल सर्वे खतियान में मादी उराँव वगैरह के नाम दर्ज है।

28/6/24

कृ०पृ०उल्टे

आवेदक अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। विपक्षीगण ने उपायुक्त से अनुमति प्राप्त किये बिना ही छल प्रपंच से जबरन उपरोक्त जमीन पर कब्जा कर आवेदक को बेदखल कर दिया है।

इसी को आधार मानते हुए कारण पृच्छा प्रस्तुत करने हेतु विपक्षीगण को नोटिस निर्गत किया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बहस किया तथा लिखित बहस भी दाखिल है। वर्णित भूमि रिवीजनल सर्वे खतियान मे मादी उराँव वगैरह के नाम से कायमी दर्ज है। उक्त खतियानी जमीन आपसी बटवारा में आवेदक को अपने हिस्से में मिला जिसे विपक्षीगण छल प्रपंच कर दखल में ले लिऐ हैं। वर्णित भूमि आवेदक के रास्ता का निकासी था। जिसे विपक्षी संख्या–1 बन्द कर रहे हैं। आवेदक की पत्नी की ओर से एक सीमांकन वाद दायर किया जिसका सीमांकन वाद संख्या–40/2023–2024 है। आवेदक ने लिखित बहस में कहा है कि विपक्षीगण संख्या–1 जो विपक्षी संख्या–2 से खरीद कर इस जमीन पर मकान बनाये हैं आवेदक ने लिखित बहस में कहें है कि विपक्षी संख्या–1 द्वारा दाखिल कारण पृच्छा के कंडिका 1 से 23 जो कथन किया है वह दूसरे खाते की जमीन है। जिससे आवेदक को कोई सारोकार नहीं है। आवेदक की और से खतियान, जमाबंदी रसीद, सीमांकन वाद की कागजात दाखिल किये हैं।

विपक्षीगण संख्या–1 के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल किया गया है जिसमें उनका कहना है कि विपक्षीगण संख्या–1 अपने पत्नी श्रीमती राजकुमारी अग्रवाल के नाम पर जमीन खरीदी है। जिस पर मकान बना कर रह रही है, जिसका आर०एस० खाता संख्या–65, प्लॉट संख्या–809, एम०एस० प्लॉट संख्या–427/H/F 1 कुल रकबा–4.1322, डी० जो वाके मौजा–कठहरगोन्दा, थाना संख्या–201 है। जिसे निबंधित पट्टा से खरीदा है। जिसका दस्तावेदज संख्या–2021/RAN/284/BK1/247 in Book No :- BK1. Volume No. 30 From page No. 405 to 462 at, Office of SRO Ranchi जो अवर निबंधन कार्यालय राँची में निबंधित है। विपक्षी संख्या–01 अपने नाम पर हेहल अंचल राँची में दाखिल खारिज कराऐ जिसका वाद संख्या–1905/2023–24 है, तथा

28/6/24

कृ०पृ०उल्टे

राँची नगर निगम राँची में होल्डिंग टैक्स देते आ रहे हैं जिसका होल्डिंग संख्या–002000331500A1 हैं और आगे कहते हैं कि लुका उराँव और पोता उराँव ने एक निबंधित पट्टा से उपरोक्त जमीन को रजिस्ट्रर सरेन्डर डीड किये हैं जिसका डीड संखया–1399, दिनांक–23.06.1934 भूत पूर्व जमीन्दार के पक्ष में किये हैं जिसका बुक संख्या–01, भोलूम संख्या–18, पेज संख्या–199 से 200, वर्ष 1934 है, जो अवर निबंधन कार्यालय राँची में निबंधित है। भूत पूर्व जमीन्दार महाराजा प्रताप उदय नाथ सहदेव ने इसे निबंधित पट्टा द्वारा मेहर सिंह और आशा सिंह को बन्दोवस्त किये जिसका निबंधित कबुलियत नामा दस्तावेज संख्या–1714 दिनांक–31.07.1934 जिसका बुक संख्या–01, भोलूम संख्या–23, पेज संख्या–245 से 250, वर्ष 1934 जिसमें एम०एस० प्लॉट संख्या–427, आर०एस० प्लॉट संख्या–809, खाता संख्या–65, मौजा–कठहरगोन्दा, थाना संख्या–201 है। विपक्षी संख्या–01 ने कहा है कि विवादित जमीन से कोई रास्ता नहीं है, ना ही दखल किये है। यह रास्ता का मामला है, प्रथम पक्ष से रास्ता का विवाद है। विपक्षी की ओर से कागजात में निबंधित पट्टा अंचल रसीद दाखिल किये हैं।

अतः दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के बहस सुनने एवं लिखित बहस, कागजातों के अवलोकन से प्रतित होता है कि यह मामला रास्ता को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद है। ऐसी स्थिति में यह वाद छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71"A" के अंतर्गत इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। इस संबंध में आवेदक सक्षम न्यायालय में जा सकते है। इस वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

28/6/24

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

28/6/24

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2025.04.12 16:19:00 +05:30
Location: 192.168.132.39